भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या– 11/2019–20

केस का प्रकार :– नामान्तरण अपील

श्रीमती बुधनी मुण्डा, पति– स्व0 गुराई मुण्डा ..... अपीलकर्त्ता।

–––––बनाम–––––

श्री शशीभूषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती एवं 02 अन्य..... विपक्षी।

कमांक /तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गयी कारवाई
	यह नामान्तरण अपीलवाद अपीलकर्त्ता श्रीमती बुधनी मुण्डा, पति– स्व0 गुराई मुण्डा, पता– रूआशोल, थाना– धालभूमगढ़, जिला– पूर्वी सिंहभूम के द्वारा 01. श्री शशीभूषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती, पता– बालिगुमा, बागान एरिया, थाना– एम0जी0एम0, टाउन जमशेदपुर, 02. श्री गुरूपद साहा, पिता– स्व0 भीम चन्द्र साहा, ग्राम– नरसिंहगढ़, थाना– धालभूमगढ़, जिला– पूर्वी सिंहभूम एवं 03. अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ (झारखण्ड सरकार), जिला– पूर्वी सिंहभूम को पक्षकार बनाते हुए अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 में दिनांक– 31.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20, दिनांक– 31.08.2019 को अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा निर्गत Online नामान्तरण शुद्धि–पत्र की छायाप्रति से संबंधित प्रति, Condonation Petition u/s 05 Limitation Act तथा निबंधित बिक्री केवाला सं0– 249, दिनांक– 08.02.2019 की प्रति संलग्न किया गया है। उक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल Condonation Petition u/s 05 Limitation Act के बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए Condonation Petition को Allow किया गया, तदनुसार इस वाद की सुनवाई हेतु दिनांक– 25.10.2019 को अंगीकृत करते हुए नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 का निम्न न्यायालय अभिलेख की मांग की गयी। साथ ही, वाद में सुनवाई हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक– 846, दिनांक– 14.11.2019 के माध्यम से नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 का निम्न न्यायालय अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 में दिनांक– 31.08.2019 को आदेश पारित किया गया है कि आवेदित भूमि राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है। जिसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या– 01. श्री शशीभूषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती, पता– बालिगुमा, बागान एरिया, थाना– एम0जी0एम0, टाउन जमशेदपुर के पक्ष में	

दिनांक– 31.08.2019 को नामान्तरण स्वीकृत करते हुए नामान्तरण शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है।

प्रश्नगत भूमि राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि राजस्व कागजातों के साथ जाँच किया। पाया कि विक्रेता मूल खतियानी रैयत स्वयं है। सीएनटी एक्ट 46 (1) B के तहत नहीं है। भू–वापसी केस नं0–78/86–87 एवं एस0ए0आर0 अपील केस संख्या– 84/89–90 आवेदित प्लॉट से कोई संबंध नहीं है। भू–वापसी वाद का कागजात जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। क्रय केवाला संख्या– 249, दिनांक– 08.02.2019 में प्लॉट नं0– 108, 109, 110, 111, 113, 127 एवं 134, कुल रकवा– 7.55 ए0 एस0ए0आर केस से संबंधित है। उक्त प्लॉट को छोड़ कर शेष प्लॉट का आवेदन किया गया है। लगान वसूली को ध्यान में रखकर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है।

अपीलकर्त्ता श्रीमती बुधनी मुण्डा, पति– स्व0 गुराई मुण्डा की ओर से नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 में दिनांक– 31.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है कि प्रश्नगत नामान्तरण में सन्निहित भूमि मौजा– रूआशोल, थाना नं0– 175, खाता सं0– 18, प्लॉट नं0– 118, 285, 129, 128, रकवा क्रमशः– 2.50 ए0, 1.53 ए0, 0.06 ए0, 0.20 ए0, खाता सं0– 19, प्लॉट नं0– 114 एवं 119, रकवा क्रमशः– 0.84 ए0 एवं 0.37, खाता सं0– 20, प्लॉट नं0– 317, रकवा– 0.30 ए0, खाता सं0– 21, प्लॉट नं0– 130, 131, 132, 133, 284 एवं 316, रकवा क्रमशः– 0.12, 0.16, 0.19, 1.19, 0.89 एवं 0.43 कुल रकवा– 8.78 ए0 भूमि को इस अपील वाद के प्रतिवादी संख्या– 01. श्री शशीभूषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती, पता– बालिगुमा, बागान एरिया, थाना– एम0जी0एम0, टाउन जमशेदपुर के द्वारा क्रय करने के पश्चात अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 में नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया।

प्रतिवादी संख्या– 01. श्री शशीभूषण भारती की ओर से इस अपील आवेदन में दिनांक– 18.06.2024 को Written Statement/Show Cause दायर किया गया, जो निम्नांकित है :–

1. That the above noted appeal filed by the appellant above name for the order passed by Ld. C.O. Dhalbhumgarh, in mutation case No. 305/2019-20 dated 03-09-2019.
2. That the ancestors of respondent no. 2 have been in possession of the said land since 1909 and the said land was purchased from the landlord in 1909. Thereafter, in the Khatian of 1932, the Khatian of Survey Settlement of 1964 and the Khatian of Survey Settlement of 1987, the possession is of respondent no. 2 and even today the entire possession is of respondent no. 2.
3. That the respondent no. 1 is a purchaser of the land mentioned in the original appeal plaint. He purchases the said land from the principal Khata Holder namely Gurupada Saha.
4. That the Ld. C.O. Dhalbhumgarh had sent his investigation report to this honorable court on letter no. 813 dated 31/10/2019 in which the Ld. C.O.

Dhalbhumgarh has rejected the claim of the appellant regarding the said land and said that there are no revenue documents related to the said land.

5. That the statements made in the original plaint in this case are denied by respondent No. 1 and it appears that this suit has been filed by the appellant to mentally harass the respondent. And it is not maintainable in the eye of law.
6. That that C.O. Dhalbhumgarh, while accepting the mutation application in the year 2019 given by the respondent of the land situated in mouza Ruashol, Khata no. 18,19,20,21 plot no. 112, 114, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 284, 285, 316, 317 total measuring area 4.57 acres.
7. That the statement made in para 2 of the original plaint is totally false the said landed property is not belong to S.T. because Gurupad Saha is a general Category and he is a principal khata holder of the land, so it would be wrong to say that the said land comes under ST and being the principal Khata holder, Gurupad Saha had full right to sell the said land which he sold to respondent no. 1.
8. That the statement made in para 3 of the original plaint is partly true and partly false, it is true that the husband of the appellant had filed R.P. case No. 78/86-87 before the L. R. D. C. Ghatshila for the restoration of landed property in mouza Ruashole thana No. 175, Khata no. 18 Plot No. 108, 109,110, 111, 113,127,134 total area 7.55 acres Ld. L. R. D. C. Ghatshila pass order accordingly but due to an error in that order, the decision on the said land could not be made.
9. That the statement made in para 4 of the original plaint is totally denied by the respondent, no action has been taken since 1987 except mental torture, 30 years have passed the appellant does not have any document to produce before the Ld. C. O. as well as this Hon'ble court.
10. That the statement made in para 5 of the original plaint is partly true, on dated 04-04-2019 the son of the appellant namely Ashok Munda & Dilip Munda had filed an objection before the Ld. C.O. Dhalbhumgarh against the mutation petition of the respondent no. 1 but the fail to produce revenue documents as well as any single government paper for the possession and ownership of the said land after imitation of hearing the Ld. C. O. Dhalbhumgarh mutated the aforesaid landed property in the name of respondent no. 1.
11. That the above facts and circumstances is appears that this case in not maintainable in the eye of law, The appellant has always been harassing the respondent mentally due to ill will and this is why she is deprived of her as well as her family livelihood. The respondent is a law abiding person and runs his business of buying and selling land in a peaceful manner.
12. That it is absolutely wrong to say that CO Dhalbhumgarh did not give the appellant a chance. A copy of the CO's report at the time of mutation is attached with this petition, which also shows that after the appellant raised objection, she was given a chance several times but no evidence was provided by her.
13. The respondent has not violated any rule of any kind nor does he intend to do so. The CNT Act has not been violated in any way in selling and purchasing the said land because neither the said land nor the ownership of the said land

belongs to ST/SC, so there is no need for permission under section 46 of C.N.T. Act.

14. That all the grounds mentioned in the original plaint are false and there is no truth in any of them except mental harassment of the respondent by the appellant. It is a clear case that the said land has been purchased by respondent no. 1 from original khata holder and its mutation has been done which is legal in the eyes of law.
15. That the appellant wants to take undue advantage of her belonging to a Scheduled Tribe by making up fabricated stories and always demands money from Respondent No. 1, and if the money is not given, she threatens to file a baseless case against him. This case has arisen out of the same mentality and only because of taking advantage of his belonging to a Scheduled Tribe.
16. That others grounds summated at the time of hearing of this case.

प्रतिवादी संख्या– 01 की ओर से दाखिल की गयी **List of Documents** के रूप में निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किया गया है –

i. **Photocopy of the CO Dhalbhumgarh Processing report at the time of Mutation Case NO. 305/2019-20.**
ii. **Photocopy of the Khatiyan.**
iii. **Photocopy of the CO Dhalbhumgarh Report Letter No. 813, dt-31.10.2019.**

निष्कर्ष :– अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय अभिलेख सहित अभिलेखबद्ध कागजातों एवं प्रतिवादी संख्या– 01 द्वारा दाखिल Written Statement/Show Cause एवं List of Documents के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 में दिनांक– 31.08.2019 को अचंल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा पारित आदेश नामान्तरण नियमावली के अनुकूल प्रतीत होता है, क्योंकि अभिलेख में संलग्न निबंधित बिक्री केवाला के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा– रूआशोल, थाना नं0– 175 :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
रूआशोल	175	18	118	2.50 ए0
			285	1.53 ए0
			129	0.06 ए0
			128	0.20 ए0
		19	114	0.84 ए0
			119	0.37 ए0
		20	317	0.30 ए0
		21	130	0.12 ए0
			131	0.16 ए0
			132	0.19 ए0
			133	1.19 ए0
			284	0.89 ए0
			316	0.43 ए0
			कुल रकवा	8.78 ए0

प्रतिवादी संख्या– 02. (विक्रेता) श्री गुरूपद साहा, पिता– स्व0 भीम चन्द्र साहा का नाम ही वर्ष 1964 सर्वे खतियान में दर्ज है एवं स्वयं ही प्रतिवादी संख्या– 01. शशीभूषण भारती, पिता– स्व0 राम किशोर भारती (क्रेता) को निबंधित बिक्री केवाला संख्या– 249, दिनांक– 08.02.2019 के माध्यम से विक्रय किया गया। वर्तमान उक्त भूमि पर शशीभुषण भारती के दखल–कब्जा है। अपीलकर्त्ता द्वारा आवेदित भूमि का शशीभूषण भारती के नाम से दर्ज जमाबंदी भूमि से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता श्रीमती बुधनी मुण्डा, पति– स्व0 गुराई मुण्डा दावा संबंधी कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे पता चले कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में उनके या उनके पूर्वज के नाम से है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त नामान्तरण मुकदमा संख्या– 305/R27/2019–20 में अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा दिनांक– 31.08.2019 को पारित आदेश को बरकरार रखते हुए, इस अपील वाद को खारिज (Reject) किया जाता है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख उपलब्ध करावें।

लेखापित एवं संशोधित

29.12.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।

29.12.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
घाटशिला।

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2024.12.30 17:04:56 +05:30
Location: 192.168.1.34